प्रेस विज्ञप्ति

22 सितंबर, 2015

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्न बयान जारी किया :–

'''व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन', 'नागरिकों की जासूसी' और **'विरोधी स्वर को दबा दिया जाना'** श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का **डीएनए** बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक विभाग के द्वारा पहले जारी की गई, फिर संशोधित की गई और अब फिर से जारी करने के लिए राईडर के साथ वापस ली गई 'एन्क्रिप्शन पर मसौदा नीति', 'अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता' को दबाने और संचार में 'गोपनीयता का अधिकार' छीनने के लिए मोदी सरकार का तानाशाह, निंदनीय और असफल प्रयास है।

सूचना के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण और सुरक्षित विनिमय के तथाकथित लक्ष्य के विपरीत यह नीति मोदी सरकार को 24x7 जासूसी करने और नागरिकों खासकर युवाओं के निजी जीवन में सेंध लगाने का लाईसेंस देने वाली थी। यह नया 'रजिस्ट्रेशन/लाईसेंस राज' शुरु कर देती, जिसमें केवल रजिस्टर्ड एन्क्रिप्शन उत्पाद ही भारत में व्यापार कर पाते। इससे हमारे विकास पर उल्टा असर पड़ता, क्योंकि इससे लोग एन्क्रिप्शन का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित होते और भारत में 'एन्क्रिप्शन विरोधी' कानून बन जाता। भारत में 2014 के अंत तक 24.41 करोड़ 'इंटरनेट यूज़र्स' थे, (17.30 करोड़ मोबाईल इंटरनेट यूज़र्स थे), 11.20 करोड़ 'फेसबुक यूज़र्स', 8 करोड़ से अधिक 'व्हाट्सएप्प यूज़र्स', 2.20 करोड़ 'ट्विटर यूज़र्स' थे और यहां 95 करोड़ से अधिक मोबाईल कनेक्शन थे। इसलिए इस नए नियम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने का घिनौना प्रयास

पिछले 16 महीनों में मोदी सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के लिए सोचे समझे तरीके से निंदनीय प्रयास किए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने तानाशाही सर्कुलर जारी करके सरकार एवं राजनैतिक नेतृत्व की जायज आलोचना करने वालों के खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की धमकी दी है। गुजरात में खासकर अहमदाबाद और सूरत में कई दिनों से मोबाईल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाकर गुजरात के 6.3 करोड़ लोगों को मोबाईल इंटरनेट और व्हाट्सएप्प आदि के प्रयोग से रोका जा रहा है। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए आईआईटी विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चुनिंदा टेल्को को फायदा पहुंचाने के लिए रहस्यमयी तरीके से 'नेट निरपेक्षता' पर ट्राई का एक सलाह पत्र आगे बढ़ाया गया था, जिसे जनता के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया। इस विरोध का नेतृत्व कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने किया था। भाजपा का असली चेहरा तो एक महीने पहले सामने आया, जब उसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दलील दी, कि 'गोपनीयता का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका कोई मतलब नहीं है।'

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है, कि 'गोपनीयता का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के मोदी सरकार के सोचे समझे प्रयास और मतभेद एवं विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश राष्ट्र–विरोधी है और 21 वीं सदी में 'वैचारिक स्वतंत्रता' के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है।

तानाशाही, स्वतंत्रता–विरोधी, एनक्रिप्शन–विरोधी नीति की प्रमुख बातें :–

अब जब भाजपा सरकार एनक्रिप्शन नीति दोबारा पेश करने का प्रस्ताव दे रही है, तो नागरिकों को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है :–

1. सरकार ने प्रस्ताव दिया था, कि सभी व्यक्तियों और व्यापारों को एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सामान्य टेक्स्ट के रूप में विनिमय से 90 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा, ताकि मांगे जाने पर उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने पेश किया जा सके।

   इसके कारण स्टोरेज़ की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लिए भारी खर्च करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति के हर डेटा की निगरानी करके स्टोर किया जाएगा, तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। कई लोग, खासकर युवा आपको वो जानकारी नहीं देना चाहेंगे, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। इस स्थिति में संचार की व्यक्तिगत गोपनीयता का क्या होगा?

   हालांकि मंत्री अब यह कह रहे हैं, कि बी2बी सेवाओं और बैंकों पर लागू नीति व्यक्तियों पर भी लागू की जा रही थी।

2. सरकार ने यह यह समाधान दिया, कि यह रजिस्टर्ड एनक्रिप्शन उत्पादों की सूची तैयार करेगी और केवल यही सेवाएं देश में व्यापार कर सकेंगी। इससे नया 'रजिस्ट्रेशन/लाईसेंस राज' शुरू हो जाएगा और भारत आईटी की दुनिया से कट जाएगा।

3. एनक्रिप्शन के मानक और एलगोरिद्म तैयार करने और मुख्य आकार को प्रतिबंधित कर देने से व्यक्ति केवल सरकाार के द्वारा दी गई विशेष भाषाओं का प्रयोग करके ही संचार कर सकेगी और इसके अलावा कोई अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे सुरक्षा काफी कमजोर हो जाती, क्योंकि नीति के मसौदे में दिए गए मापदंड काफी पुराने और असुरक्षित थे।

   सायबर अपराधी 90 दिनों के लिए स्टोर किए गए डेटा चुराकर लोगों की गोपनीयता पर हमला कर देते।

   यदि कोई नागरिक सरकार के द्वारा बताई गई एनक्रिप्शन सेवा की बजाए उच्च स्तर के एनक्रिप्शन वाली सेवा का प्रयोग करता, तो वह कानून का उल्लंघन होता।

4. व्यवहारिक रूप से हर ऑनलाईन गतिविधि नई नीति के द्वारा नियंत्रित की जाती। विंडोज़, लाईनक्स, मैक आदि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न स्तरों पर एनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ई–कॉमर्स सेवाएं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील आदि भी एनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करती हैं। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स आदि जैसे ब्राउज़र्स भी एनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी ईमेल सेवाएं जैसे याहू, रेडिफ, जीमेल भी एनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करती हैं। इस नए नियम से उन सभी को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता, जिसके कारण देश के बाहर स्थित कंटेंट प्रदाताओं और ऑपरेटर्स, जो सरकार के द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती।

5. असल में संचार के सभी उपकरण किसी न किसी रूप में एनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है, कि हर संचार उपकरण, चाहे वह टेलीफोन हो या टेबलेट या कंप्यूटर आदि. उसे रजिस्टर कराना जरूरी होगा।

यू–टर्न

नेट निरपेक्षता की तरह ही जनसमूह के भारी विरोध के बाद एनक्रिप्शन नीति पर भी सरकार ने यू–टर्न ले लिया। सरकार की इच्छा जो कुछ भी हो, अब वह सबके सामने आ गई है। सभी भारतीयों को एकजुट होकर सरकार का विरोध करना होग, ताकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने वाली इन नीतियों को पीछे के दरवाजे से दोबारा पेश न करे। मोदी सरकार के द्वारा जल्दबाजी में पीछे हटने से **'तुगलकी फरमान'** के ऊपर **'लोकतंत्र की जीत'** साबित हो गई है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला